[2015] 13 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 1196

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

बनाम

निलोफर सिद्दीकुई एवं अन्य

(2009 की सिविल अपील संख्या 7266)

1 दिसंबर 2015

[न्यायमूर्ति वी. गोपाल गौड़ा और न्यायमूर्ति अमितावा रॉय]

संविदा- अपीलार्थी निगम द्वारा गैस एजेंसी का वितरण - प्रत्यर्थी सं 2 और 3 को संयुक्त रूप से - 'आबंटन पत्र' की शर्त संख्या 2 के अनुसार नियुक्ति 'मानक करार' में निहित शर्तों के अधीन के, जो कि बाद में प्रदान किया जाना था - आबंटन पत्र की शर्त संख्या 8 के अनुसार, निगम स्वतंत्र था कि बिना कोई कारण बताए वितरण को समाप्त कर दें- 'मानक करार' की प्रति प्रत्यर्थीओं कभी नहीं दी गई -प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपना हिस्सा उसकी पत्नी (प्रत्यर्थी संख्या 1) के पक्ष में हस्तांतरित किया - 'मानक करार' के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के आधार पर निगम द्वारा वितरण का समापन - प्रत्यर्थी संख्या 1 ने यह मालिकाना हक का मुकदमा, इस घोषणा के लिए कि समापन अवैध, मनमाना और अनुचित था, दायर किया – *खारिज-प्रथम अपीलीय*

न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा - द्वितीय अपील में, उच्च न्यायालय ने अवर न्यायालयों के फैसलों को दरकिनार करते हुए वितरण के समापन को अवैध, मनमाना और अनुचित अभिनिर्धारित किया और वितरण के पुनर्स्थापना के लिए निर्देशित किया-अपील पर यह अभिनिर्धारित किया गयाः संविदा अधिनियम की धारा 7 के अनुसार स्वीकृति पूर्ण होनी चाहिए - मानक करार चूंकि आबंटियों को उपलब्ध नहीं किया गया है, इसलिए इसे संपन्न/निष्कर्षित संविदा नहीं कहा जा सकता है - यह आबंटियों पर विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं था क्योंकि यह आबंटियों और निगम के बीच कभी निष्पादित नहीं किया गया था - इसलिए इसके नियमों और शर्तों के उल्लंघन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। निगम भारत सरकार का उपक्रम होने से निष्पक्ष और यथोचित रूप से कार्य करने के लिए बाध्य है - इसका आचरण संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर जांच के अधीन है - आबंटन पत्र की शर्त संख्या 8 यह प्रावधान करती है कि बिना कोई कारण बताए एकतरफा समापन को अनुच्छेद 14 के प्रकाश में पढ़ा जाये - निगम को वितरण के पुनर्स्थापना का निर्देश - मामले के तथ्यों में, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को एक लाख रुपये के खर्चे का भुगतान किया जाना – संविदा अधिनियम, 1872 - धारा 7 – भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14 – सार्वजनिक वितरण।

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 - धारा 14 (1) (ग) - गैस एजेंसी के वितरण के समापन की प्रयोज्यता - न्यायालय ने समापन को अवैध

मानते हुए वितरण की पुनर्स्थापना कर दी - वितरण व्यवस्था क्या धारा 14 (1) (ग) के प्रावधानों के अनुसार पुनर्स्थापित करने योग्य है – अभिनिर्धारित किया गया : धारा 14 (1) (ग) के प्रावधान मामले के तथ्यों को लागू नहीं होते है क्योंकि न तो संविदा प्रतिसंहरणीय थी और न ही किसी कारण से शून्य हो गयी थी।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 प्रत्यर्थी सं 2 और 3 ने साझेदारी फर्म को आबंटन पत्र की नियमों और शर्तों के अनुसार पंजीकृत कराया और अपीलार्थी-निगम से हस्ताक्षर के लिए कंपनी का मानक करार भेजने के लिए कम से कम दो बार अनुरोध किया, लेकिन निगम इसे उन्हें भेजने में विफल रहा। अतः अभिवचनों और अभिलेख पर साक्ष्य से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कंपनी के मानक करार को उनके द्वारा कभी भी निष्पादित नहीं किया गया था। दोनों प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 ने उक्त मानक करार पर अपने हस्ताक्षर किए के बिना दोनों ने अपना व्यवसाय शुरू किया। साझेदारी व्यवसाय निगम द्वारा जारी आबंटन पत्र के नियमों और शर्तों द्वारा विनियमित किया जाना जारी रहा। अतः निगम का दावा, कि दोनों प्रत्यर्थी सं 2 और 3 उक्त मानक करार से अवगत थे, कानून में अस्वीकार्य है। यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि दोनों प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 कोई जानकारी थी या उक्त मानक करार की शर्तों पर कभी

सहमत हुए थे। वह करार, जो पक्षकारों द्वारा निष्पादित नहीं किया गया, विधिक रूप से उनके विरूद्ध लागू करने योग्य नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए उच्च न्यायालय ने उचित रूप से माना कि मानक करार का प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होना नहीं कहा जा सकता है, इसे कभी भी आबंटियों और निगम के बीच निष्पादित नहीं किया गया है। [पैरा 27] [1214-सी-एफ]

महारानी शांति देवी पी. गायकवाड़ बनाम सावजीभाई हरिभाई पटेल और अन्य **(2001) 5 एस. सी. सी. 101: 2001 (2) एस. सी. आर. 590-संदर्भित।**

1.2 संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 7, विशेष रूप से यह प्रावधान करती है कि स्वीकृति पूर्ण होनी चाहिए। चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 दोनों को कभी भी मानक करार की आपूर्ति नहीं की गई थी और उक्त मानक करार को आवंटियों और निगम के बीच निष्पादित नहीं कहा जा सकता है। अतः उक्त मानक करार को विधि में पक्षकारों के बीच एक संपन्न/निष्कर्षित संविदा नहीं कहा जा सकता है। । परिणामस्वरूप यह, निगम द्वारा वितरण के आबंटियों पर, बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता है। जब उक्त मानक करार बाध्यकारी नहीं है, फिर नियमों और शर्तों के उल्लंघन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। बल्कि निगम द्वारा, प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 दोनों को मानक करार नहीं भेजकर, आबंटन पत्र की शर्त

संख्या 2 का उल्लंघन किया गया। [पैराज 28,29] [1214-एफ; 1215-सी-डी, ई-एफ]

1.3 आबंटन पत्र की शर्त संख्या 8 अनुचित है क्योंकि यह निगम को, किसी भी कारण को निर्दिष्ट बिना, वितरण को समाप्त करने का एक निरंकुश अधिकार प्रदान करती है। वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी संख्या 2 आर्थिक ताकत में बहुत कमजोर है और उसके पास निगम के साथ कोई सौदेबाजी की शक्ति नहीं है। उस समय जब आबंटन पत्र जारी किया गया था, प्रत्यर्थी संख्या 2 के पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं था और स्वयं के एवं अपने परिवार के सदस्यों के जीवन निर्वाह के लिए निगम द्वारा गैस एजेंसी के अनुदान पर निर्भर था। आबंटन पत्र में मानक शर्तें शामिल हैं और प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 के पास उसे बदलने का कोई अवसर नहीं था। आबंटन पत्र की शर्त संख्या 8 बिना किसी कारण के वितरण की एकतरफा समाप्ति का प्रावधान करती है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के आलोक में पढ़े जाने के लिए दायी है । [पैरा 30] [1215-एफ-एच; 1216-ए-बी]

केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड और अन्य बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली और अन्य **(1986) 3 एससीसी 156: 1986 (2) एस. सी. आर. 278-पर भरोसा किया।**

दिल्ली परिवहन निगम बनाम डीटीसी मजदूर कांग्रेस और अन्य **1991 पूरक (1) एस. सी. सी. 600 : 1990 (1) पूरक। एस. सी. आर. 142;** *महाबीर ऑटो स्टोर और अन्य बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड ओआरएस। (1990) 3 एससीसी 752:* **1990 (1) एस. सी. आर. 818-अनुसरण किया गया।**

1.4 अपीलार्थी-निगम भारत सरकार का उपक्रम होने के नाते निष्पक्ष और यथोचित रूप से कार्य करने के लिए बाध्य है और इसका आचरण संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर जांच के अधीन है। [पैरा 31] [1218-ए]

2. उच्च न्यायालय ने, विवादित निर्णय और आदेश में, उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 14 (1) (ग) के तहत प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियों को लागू नहीं होता है क्योंकि आबंटन पत्र और पक्षकारों के आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि न तो संविदा प्रतिसंहरणीय थी और न ही यह किसी भी कारण से शून्य हो गयी थी । [पैरा 36] [1219 - ई]

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम अमृतसर गैस सेवाएँ और अन्य। **(1991) 1 एससीसी 533: 1990 (3) पूरक एससीआर 196-प्रतिष्ठित**

3. न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता-निगम को इस प्रकृति के वितरण को समाप्त करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय बहुत सतर्क और सावधान रहना चाहिए। [पैरा 39] [1220-बी]

4. प्रत्यर्थीगण, अपने लिए न्याय की मांग के साथ अदालतों में बहुमूल्य समय बिताते हुए, लगभग 37 वर्षों से मुकदमा कर रहे हैं। प्रत्यर्थी सं 2 और 3 पूर्व सैनिक हैं जिनके पक्ष में वितरण प्रदान किया गया, जिसे मनमाने ढंग से और अनुचित तरीके से समाप्त कर दिया गया। निगम का यह आचरण भारत सरकार की योजना के सराहनीय उद्देश्य, जिसके द्वारा पूर्व रक्षा कर्मियों, युद्ध विधवाओं और आश्रितों के पक्ष में वितरण आवंटित किया गया था, को पराजित करता है । अतः प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को खर्चा प्रदान किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को एक लाख रुपये के खर्चे का भुगतान किया जाए। [पैराज 40,41] [1220 सी-ई, जी]

<u>निर्णय विधि संदर्भ</u>

2001 (2) एससीआर 590	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 18**
1986 (2) एससीआर 278	**उस पर भरोसा करें**	**पैरा 23**
1990 (1) पूरक एससीआर 142	**अनुसरण किया गया**	**पैरा 23**
1990 (1) एससीआर 818	**अनुसरण किया गया**	**पैरा 24**
1990 (3) पूरक एससीआर 196	**प्रतिष्ठित**	**पैरा 33**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 2009 की 7266

दिनांक 03.07.2007 के पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से जो कि 1988 की द्वितीय अपील संख्या 516 में पारित किया गया।

सुश्री पिंकी आनंद, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्रीमती प्रिया पुरी, सुश्री सौम्या राठौर, अधिवक्तागण , अपीलार्थी के लिए।

कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ अधिवक्तागण, रवि चंद्र प्रकाश, इम्तियाज अहमद, निजाम पाशा, सुश्री सुषमा सिंह, मुकेश के. सिंह, पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, प्रभाश कुमार यादव, वी. के. मोंगा, अधिवक्तागण , प्रत्यर्थीओं के लिए।

अब्दुस शफी सिद्दीकी (प्रत्यर्थी-व्यक्तिगत रूप से)

न्यायालय का निर्णय दिया गया था

न्यायमूर्ति वी. गोपाल गौड़ा के द्वारा

1. यह दीवानी अपील, 1988 की द्वितीय अपील संख्या 516 में, पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2007 के पारित विवादित निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा उसने अवर न्यायालयों द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इस आधार पर दरकिनार कर दिया है कि अवर न्यायालयों ने न केवल अभिलेख पर

मौजूद तथ्यों और सबूतों की गलत व्याख्या करके अभिलेख की त्रुटि की है बल्कि विधि के विशिष्ट प्रावधानों के साथ-साथ आवश्यक और सुसंगत निर्णय विधियों की भी अनदेखी की और यह गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया कि 1978 के मालिकाना हक का मुकदमा संख्या 68 के प्राङ्न्याय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित था ।

2. तथ्य जो प्रतिद्वंद्वी कानूनी विवाद की सराहना करने के लिए आवश्यक हैं, पक्षों की ओर से किए गए आग्रह में संक्षेप में कहा गया है:

अपीलार्थी-इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (संक्षेप में "आईओसीएल") ने वर्ष 1971 में बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर शहर में इंडेन गैस (एलपीजी) एजेंसियों के वितरण प्रदान करने की योजना के तहत पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये गये। उक्त वितरण पूर्व रक्षा कर्मियों, युद्ध विधवाओं और आश्रितों के लिए आरक्षित था। प्रत्यर्थी संख्या 2 पूर्व-कैप्टन ए. एस. सिद्दीकी और प्रत्यर्थी संख्या 3 - पूर्व-कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद ने उक्त वितरण के लिए आवेदन किया और मिल गया। 15.10.1971 को आईओसीएल ने प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 के साथ एक तीसरे व्यक्ति को उक्त वितरण की पेशकश की बशर्ते कि वे इंडेन गैस के वितरण के व्यवसाय को चलाने के लिए साझेदारी करने पर सहमत हों । यह इस उद्देश्य से किया गया था कि देश में और अधिक पूर्व सैनिकों का

पुनर्वास करना। हालांकि तीसरे व्यक्ति ने साझेदारी करने से इनकार कर दिया।

3. आईओसीएल ने अपने पत्र संख्या बिक्री/ एलपीजी/ ईआरएन/ 3623 दिनांकित 21.10.1971 (इसके बाद "आबंटन पत्र" के रूप में संदर्भित किया गया है) के जरिये प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को इंडेन गैस का वितरण उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन आबंटित किया। उक्त पत्र की शर्त संख्या 2 का विवरण नीचे दिया गया हैः

"शर्त संख्या 2: यह नियुक्ति हमारे मानक करार में निहित शर्तों के अधीन है जो कि आपके हस्ताक्षर के लिए नियत समय पर आपको भेज दिया जायेगा और आप हस्ताक्षर करेंगे और वही हमें लौटा देंगे।

आगे उक्त पत्र की शर्त संख्या 8 इस प्रकार हैः

"समाप्तिः

शर्त संख्या 8 : यहाँ इसमें किसी भी बात के निहित होने के बावजूद, निगम, बिना कोई कारण बताए जो कुछ भी हो, आपको वितरण का समापन करने के इरादे से 30 दिनों की लिखित में सूचना देकर आपका वितरण का समापन करने के लिए स्वतंत्र होगा और उक्त सूचना के अवसान पर इस तरह की समाप्ति के पूर्ववर्ती किसी भी मामले या चीज़ के संबंध में निगम के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना आपकी वितरण संस्था रद्द और समाप्त हो जाएगी ।

4. मेसर्स हैप्पी होम्स (प्रत्यर्थी संख्या 4) के नाम और शैली के तहत विभिन्न नियमों और शर्तों पर मुज़फ़्फ़रपुर में इंडेन गैस का वितरण का व्यवसाय जारी रखने के लिए 17.11.1971 को साझेदारी विलेख पर प्रत्यर्थी संख्या के बीच 2 और 3 हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त साझेदारी विलेख की शर्त संख्या 12 इस प्रकार पढ़ता हैः

"12.कोई भी भागीदार किसी भी उद्देश्य के लिए लिखित रूप में प्राप्त दूसरे भागीदार की सहमति के बिना निम्नलिखित कार्यः

क. जब वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार हो अन्य व्यवसाय में संलग्न नहीं होगा और इसके अलावा फर्म के व्यवसाय की उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी होगी ।

XXX XXX XXX

ख. साझेदारी में अपने हिस्से को न तो निर्दिष्ट करेगा या न ही गिरवी रखेगा या न ही भागीदार के रूप में परिचय देने और मानने का प्रयास करें।

5. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पत्र संख्या 59582 दिनांकित 04.11.1971 के जरिये आईओसीएल से मानक करार की प्रति भेजने का अनुरोध किया जैसा कि आईओसीएल द्वारा जारी आबंटन पत्र की शर्त संख्या 2 में संदर्भित है। आईओसीएल ने दिनांक 12.11.1971 के पत्र द्वारा उन्हें नियत समय पर उक्त करार भेजने का आश्वासन दिया था। प्रत्यर्थी

संख्या 2 ने 16.12.1971 दिनांकित पत्र के माध्यम से उक्त मानक की एक प्रति के लिए फिर से आईओसीएल से अनुरोध किया । आईओसीएल ने पत्र क्रमांक 3622 दिनांक 31.12.1971 के माध्यम से उक्त मानक करार की अनुपलब्धता और वितरण के समापन के संबंध में प्रत्यर्थी क्रमांक 2 और 3 दोनों की आशंका को दूर किया ।

उक्त पत्र संख्या 3622 का सुसंगत अंश इस प्रकार पढ़ता हैः

"...यह करार आपको उचित समय पर दिया जाएगा। इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी कोई गोपनीयता नहीं रखी जाती है और करार जब भी तैयार होगा आपको भेज दिया जाएगा।

XX XX XX

इस बीच कृपया हम चाहेंगे कि आप बाजार को चालू करने के संबंध में तेजी से प्रगति करें..."

6. 23.03.1972 से साझेदारी फर्म - मेसर्स हैप्पी होम्स ने दोनों प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 द्वारा उक्त मानक करार के बिना इंडेन गैस के वितरण का व्यवसाय शुरू किया । आईओसीएल द्वारा उन्हें जारी आबंटन पत्र की शर्तों के द्वारा वितरण को विनियमित करना जारी रखा गया ।

7. साझेदारी फर्म का व्यवसाय कुछ समय के लिए सुचारू रूप से चला। कुछ महीनों के बाद प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा की गई निश्चित

अनियमितताओं के कारण भागीदारों अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। उक्त विवाद के निपटारे के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा आई. ओ. सी. एल. से हस्तक्षेप की मांग की गई थी । हालांकि आईओसीएल ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और भागीदारों से अपना विवाद को स्वयं सुलझाने को कहा। 27.02.1973 को प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पुनर्वास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय (संक्षेप में "डीजीआर") को एक पत्र लिखा और उसी की प्रति रक्षा मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री को भेजते हुए यह अनुरोध किया की या तो साझेदारी व्यवसाय को दो में विभाजित कर देवें या उसे साझेदारी में अपने हिस्से को अपनी पत्नी श्रीमती निलोफर सिद्दीकी (प्रत्यर्थी संख्या 1) या उनके पिता पूर्व-कैप्टन एम. ओज़ैर या स्वर्गीय कैप्टन एम. अम्मार की विधवा जिनकी साझेदारी में उन्होंने वितरण के लिए वास्तव में आवेदन किया था, के नाम पर हस्तांतरित करने की अनुमति देवें ।

8. 31.10.1973 को प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 दोनों आईओसीएल के शाखा प्रबंधक से मिलने के लिए कलकत्ता गए । प्रत्यर्थी संख्या 2 ने साझेदारी में अपने हिस्से को या तो उसकी पत्नी या उसके पिता के नाम पर हस्तांतरित करने की इच्छा व्यक्त की । प्रत्यर्थी संख्या 3 ने प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा व्यक्त की गई इच्छा पर मौखिक सहमति दी । बाद में प्रत्यर्थी संख्या 3 ने शाखा प्रबंधक, आईओसीएल को संबोधित करते हुए 15.11.1973 दिनांकित पत्र लिखकर उसकी मौखिक सहमति की पुष्टि की ।

9. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 17.11.1973 दिनांकित पत्र के माध्यम से शाखा प्रबंधक, आईओसीएल को संबोधित करते हुए आईओसीएल से साझेदारी में अपने हिस्से को अपनी पत्नी या अपने पिता के नाम पर हस्तांतरित करने की अनुमति मांगी । 02.1.1974 को प्रत्यर्थी संख्या 2 बिहार सरकारी सेवाओं में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में शामिल हुए।

10. आईओसीएल ने 25.02.1974 दिनांकित पत्र के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा किए गए शेयरों के हस्तांतरण के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इस प्रकार कहाः

"……..आपको याद होगा कि आपको अधोहस्ताक्षरित के साथ-साथ हमारी शाखा के बिक्री प्रबंधक श्री एस. सी. घोष और आपके साथी के साथ की गयी चर्चाओं के दौरान स्पष्ट रूप से सलाह दी गई थी कि जब तक कि सभी बाधाएं/अनियमितताएं, जिनके तहत वितरण का संचालन किया जा रहा है, अपास्त न हो जाये, हम इस तरह के किसी भी अनुरोध को आगे नहीं बढ़ाएंगे।"

11. इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 ने फिर से 03.3.1975 को डीजीआर को एक पत्र लिखा साथ ही साथ आईओसीएल को भी इसकी एक प्रति के साथ समान अनुरोध लेकिन डीजीआर ने 27.3.1975 दिनांकित पत्र के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा किए गए अनुरोध को अस्वीकार कर

दिया। इसी अनुरोध को 17.4.1975 दिनांकित पत्र के माध्यम से आईओसीएल द्वारा भी अस्वीकार कर दिया गया था।

12. दैनिक समाचार पत्र 'इंडियन नेशन' में प्रकाशित एक सूचना द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 ने मेसर्स हैप्पी होम्स में उसका हिस्सा उसकी पत्नी अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में स्थानांतरण के लिए अपने आशय का संकेत दिया और उस पर आपत्तियाँ आमंत्रित की, यदि कोई हो। आईओसीएल ने अपने पत्र संख्या बिक्री/एलपीजी/3710 16.01.1978 दिनांकित के माध्यम से वितरण को समाप्त कर दिया। उक्त पत्र के सुसंगत भाग निम्नानुसार उद्धृत गए हैं:

"नवंबर, 1973 के उनके पत्र के माध्यम से यह बात साफ़ तौर पर समझा दी गयी थी कि आप उपरोक्त वितरण की निरंतरता के दौरान अन्य व्यवसाय या रोजगार नहीं अपनाएँगे और सितंबर, 1975 को कैप्टन सिद्दीकी ने अपने पिता को उपरोक्त वितरण में उसका हिस्सा स्थानांतरण करने के लिए हमारी अनुमति के लिए हमसे संपर्क किया है जिसे स्वीकार नहीं किया गया था और उन्हें एक या दो चुनने की सलाह दी गई थी यानी या तो अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए या हमारे वितरक बने रहने के लिए। इसके अलावा आपको हमारे और पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि उसे अपने हिस्से को अपने पिता को हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन वह इस करार

के भंग और उल्लंघन के साथ बना रहा है और नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया।

पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए आपके वितरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है और इस पत्र को इस उद्देश्य के लिए हमारी सूचना के रूप में माना जा सकता है । कृपया ध्यान दें कि आपके वितरण अधिकार, ऐसे समापन से पूर्व के किसी मामले या चीज़ के सम्बन्ध में निगम के अधिकारों के प्रति बिना पूर्वाग्रह के, 30 दिनों की अवधि के अवसान होने पर समाप्त और रद्द हो जाएंगे ।

13. 23.1.1978 को प्रत्यर्थी संख्या 2 ने एक स्थानांतरण विलेख (बैमोकासा) अपनी पत्नी अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित किया जिसके द्वारा उसने साझेदारी में अपने हिस्से को उसकी पत्नी के नाम हस्तांतरित किया ।

14. 9.6.1978 को प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक मालिकाना हक का मुकदमा संख्या 1978 का 68 कार्यपालक मुन्सिफ, मुज़फ़्फ़रपुर की अदालत में, इस घोषणा की मांग करते हुए कि आईओसीएल द्वारा दिनांकित 16.01.1978 पत्र द्वारा वितरण का समापन अवैध, मनमाना और अनुचित था, संस्थित किया। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने वितरण के पुनर्स्थापना के लिए भी प्रार्थना की । विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.04.1985 के अपने फैसले और आदेश के माध्यम से उक्त वाद को खारिज कर दिया, इसी बात के

साथ-साथ, कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को प्रत्यर्थी संख्या 1 अर्थात् उसकी पत्नी के नाम पर साझेदारी में अपने हिस्से को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था ।

15. विचारण न्यायालय के फैसले से व्यथित प्रत्यर्थी संख्या 1 ने में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में मालिकाना हक की अपील संख्या 1986 की 32 प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 13.06.1988 के अपने फैसले और आदेश के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया और विचारण न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।

16. प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय से व्यथित प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पटना उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील संख्या 1988 की 516, विधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न विरचित करते हुए, प्रस्तुत की और उसी के समर्थन में विभिन्न तर्कसंगत आधारों का आग्रह किया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 03.07.2007 के अपने फैसले और आदेश के माध्यम से अवर न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों को खारिज करते हुए अपील की अनुमति दी । इसने घोषणा की कि आईओसीएल द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 के वितरण को समाप्त करने के लिए दिनांक 16.01.1978 को जारी समापन पत्र अवैध, मनमाना और अनुचित है और वितरण की पुनर्स्थापना के लिए निर्देश दिया। इसलिए विधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न विरचित करते हुए और

आक्षेपित निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए अपीलार्थी द्वारा यह अपील दायर की जाती है ।

17. हमने अपीलार्थी-आईओसीएल की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सुश्री पिंकी आनंद और प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 & 4 की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल को ध्यान से सुना है। हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेख पर तथ्यात्मक साक्ष्य के आधार पर, मामले की परिस्थितियों और दोनों पक्षों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा आग्रह किए गए प्रतिद्वंद्वी कानूनी तर्कों के आलोक में हमने बड़े पैमाने पर निम्नलिखित बिंदुओं को तैयार किया गया है जिन पर हमें ध्यान देने और विचार करने की आवश्यकता है ।

i. क्या आईओसीएल को प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 का वितरण समाप्त करने का अधिकार था?

ii. क्या विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 14 (1) (ग) का प्रावधान वर्तमान मामले में लागू होता है?

iii. क्या आदेश?

<u>बिन्दु संख्या 1 का उत्तर</u>

18. अपीलार्थी-आईओसीएल की ओर से सुश्री पिंकी आनंद, अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि आईओसीएल को बिना कोई कारण के बताये भी वितरण को समाप्त करने का अधिकार था । उन्होंने प्रस्तुत

किया कि उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया कि आईओसीएल ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को 30 दिवस की सूचना दिए बिना, जो कि एक पूर्व-आवश्यकता थी, वितरण को समाप्त करके दिनांक 21.10.1971 के आबंटन पत्र में उल्लिखित नियमों और शर्तों की शर्त संख्या 8 (ऊपर) का उल्लंघन किया गया । उन्होंने आगे कहा कि शर्त संख्या 8 के तहत अपेक्षित उक्त 30 दिनों की सूचना समापन की सूचना में ही दी गयी थी। उसने ***महारानी शांति देवी पी. गायकवाड़ बनाम सावजीभाई हरिभाई पटेल और अन्य***[1] के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा। उनके द्वारा उद्धृत निर्णय का सुसंगत भाग इस प्रकार हैः

54. "5 .... यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह पक्षकारों के करार को उनके आशय के अनुसार लागू करें और जब वह करार लिखित में हो तो इस्तेमाल किए गए शब्दों में आशय को देखा जाना चाहिए जब तक कि वे ऐसे न हों कि किसी को संदेह हो कि कि वे आशय को सही ढंग से व्यक्त नहीं करते हैं। यदि ये शब्द स्पष्ट है तो न्यायालय को बहुत कम काम करना है। न्यायालय को स्पष्ट अर्थ को लागू करना चाहिए भले ही परिणाम उसे नापसंद हो। हमने पहले खंड 10 निर्धारित किया है और हमें वहां इस्तेमाल की गई भाषा के अर्थ के बारे में कोई कठिनाई या संदेह नहीं मिलता है। वहाँ इस्तेमाल की गई भाषा के अर्थ के बारे में। वास्तव में भाषा सबसे सरल है. .. "

इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 2 के इंडेन गैस के वितरण का समापन आईओसीएल द्वारा जारी आबंटन पत्र में नियमों और शर्तों अनुसार वैध, उचित और न्यायसंगत था जिस पर उच्च न्यायालय, इसके निष्कर्षों को अभिलिखित करते समय और उक्त विधि के सारवान प्रश्नों का उत्तर देते समय, विचार एवं उसी की सराहना करने में विफल रहा ।

19. उन्होंने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुँचने में गलती की है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 ने इस आधार पर, मानक करार के नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया है, कि उन्हें कभी भी ऐसा प्रदान नहीं किया गया। इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय का निष्कर्ष न केवल विधिक रूप से अनुपयुक्त है बल्कि तथ्यात्मक रूप से भी गलत है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को मानक करार की शर्तें दिखाई गईं और विशेष रूप से खंड 21 के बारे में जागरूक किया गया जिसमें आईओसीएल की सहमति के बिना भागीदारों को बाहरी लोगों के पक्ष में अपने शेयर सौंपने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया था । यह तथ्य कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने बार-बार आईओसीएल से अपना हिस्सा अपनी पत्नी को सौंपने के लिए अनुमति मांगी, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह में ऐसी शर्त जानता था । मानक करार का खंड 21 इस प्रकार हैः

" 21. वितरक इस संविदा द्वारा प्रदत्त अधिकार, हित या लाभ को किसी भी व्यक्ति को न हीं बेचेगा, न सौंपेगा, न बन्धक रखेगा या अलग नहीं करेगा या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेगा। वितरक के एक साझेदारी फर्म होने की स्थिति में फर्म के संविधान में किसी भी बदलाव की चाहे वह सेवानिवृत्ति, नए साझेदारों का परिचय या भिन्न प्रकार का चाहे जो भी हो निगम के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना अनुमति नहीं दी जाएगी यद्यपि निगम का ऐसी पुनर्गठित फर्म के साथ लेन-देन हो सकता है या वितरक द्वारा यहां ऊपर उल्लिखित उल्लंघन या व्यतिक्रम को स्पष्ट रूप से अधित्यक्त कर दिया गया है या माफ कर दिया गया है ..."

20. उन्होंने आगे कहा कि वितरण के समापन की वैधता का परीक्षण निजी कानून और संविदा विधि के सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए न कि संवैधानिक या सार्वजनिक विधि की कसौटी पर। वर्तमान मामले में अंतर्निहित प्रश्न पूरी तरह से पक्षकारों के बीच संविदा के उल्लंघन का प्रश्न है जिसके लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2, यदि वे अपीलकर्ता की ओर से उल्लंघन साबित करते हैं तो वे नुकसानी और परिणामी राहत जैसा कि वादपत्र में प्रार्थना की गई है, के हकदार हैं लेकिन घोषणात्मक उपचार के नहीं।

21. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 और 4 की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में

विभिन्न तथ्यात्मक और साथ ही विधिक तर्कों का आग्रह करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को न्यायोचित ठहराने की मांग की।

22. उनके द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 दोनों ने वितरण के आबंटन पत्र के सभी नियमों और शर्तों को पूरा किया है जो उन्हें आईओसीएल द्वारा दिया गया था। यह आईओसीएल है जिसने प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा आईओसीएल से बार-बार मांगे जाने के बावजूद मानक करार की प्रति न भेजकर उक्त नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 दोनों ने ने आबंटन पत्र के आधार पर 23.03.1972 को अपना व्यवसाय शुरू किया। आईओसीएल द्वारा किसी भी समय उन्हें मानक करार के नियमों और शर्तों से परिचित नहीं कराया गया। उन्होंने आगे कहा कि जो करार पक्षकारों द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है उसे उनके विरुद्ध विधिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए मानक करार के नियमों और शर्तों को उन पर बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उन्होंने इसे निष्पादित ही नहीं किया है। इस प्रकार, उक्त मानक करार में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार इंडेन गैस के वितरण का समापन अवैध है जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के पक्ष में विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देकर उच्च न्यायालय ने अपने तर्कसंगत निर्णय में उचित ठहराया है।

23. उनके द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि आबंटन पत्र की शर्त संख्या 8 के अनुसार आईओसीएल का, लिखित रूप में 30 दिन की सूचना देकर बिना कोई कारण बताए वितरण समाप्त करने का, अधिकार सुरक्षित है। उक्त 30 दिनों की सूचना का उद्देश्य प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 दोनों को शर्त संख्या 8 के तहत अपने अधिकार का उपयोग करके आईओसीएल द्वारा किये गये ऐसे आशयित समापन के खिलाफ अपने स्पष्टीकरण को आगे बढ़ाने के लिए को समय देना था। उन्होंने आगे कहा कि आईओसीएल ने स्वयं आबंटन पत्र की शर्त संख्या 8 में उल्लिखित शर्तों का पूरी तरह से उल्लंघन किया। इसने उन्हें अप्रासंगिक कारण बताकर बिना कोई सूचना दिए एक पत्र जारी कर मनमाने ढंग से वितरण समाप्त कर दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है। अपनी आगे की प्रस्तुतियों में उन्होंने आबंटन पत्र के ही शर्त संख्या 8 पर हमला किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त शर्त अब तक अतार्किक है क्योंकि यह बिना कोई भी कारण निर्दिष्ट किये प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 दोनों के पक्ष में इंडेन गैस के वितरण को समाप्त करने का निरंकुश अधिकार देती है। उन्होंने ***केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड और अन्य बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली और अन्य*** [ii]मामले में इस न्यायालय के फैसले पर दृढ़ विश्वास रखते हुए अपनी बात को मजबूत किया जिसका पालन इस न्यायालय की संविधान पीठ ने ***दिल्ली परिवहन निगम बनाम डीटीसी मजदूर कांग्रेस और अन्य*** [iii] के मामले में किया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उद्धृत ***केंद्रीय***

अंतर्देशीय जल परिवहन के मामले (ऊपर) से संबंधित परिच्छेद इस फैसले के बाद के भाग में निकाला गया है।

24. उनके द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि भारत सरकार का उपक्रम होने के नाते आईओसीएल निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए बाध्य है और इसका आचरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर जांच का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आईओसीएल की कार्रवाई क्रूर और मनमानी थी। उन्होंने ***महाबीर ऑटो स्टोर एवं अन्य बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एवं अन्य*** [iv]के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर दृढ़ निर्भरता रखी। उपरोक्त मामले का परिच्छेद 12 इस प्रकार हैः

"12. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि राज्य की प्रत्येक कार्रवाई या उसकी कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में राज्य की साधनशीलता को कारण द्वारा सूचित किया जाना चाहिए । उचित मामलों में, बिना कारण बताए की गई कार्रवाइयों को, संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 की प्रक्रियाओं के अन्तर्गत, मनमाने की भांति प्रश्नगत किया जा सकता है । इस संबंध में *राधा कृष्ण अग्रवाल बनाम बिहार राज्य* मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा किया जा सकता है। शुरुआत में ही हमें ऐसा प्रतीत है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी कंपनी आईओसी राज्य का एक अंग या राज्य का एक साधन है, जैसा कि

संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत माना गया है। राज्य व्यक्तिगत पक्षकारों के साथ संविदा करने या न करने में संविधान के अनुच्छेद 298 के तहत अपनी कार्यकारी शक्ति के तहत कार्य करता है। संविधान का अनुच्छेद 14 शक्ति के उन प्रयोगों पर लागू होगा। इसलिए अनुच्छेद 14 के तहत राज्य निकाय की कार्रवाई की जाँच की जा सकती है। *राधा कृष्ण अग्रवाल बनाम बिहार राज्य* के पृष्ठ 462 को देखें लेकिन संविधान के अनुच्छेद 14 को, संविदा में शामिल होने के बाद, राज्य की कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के लिए एक चार्टर के रूप में नहीं समझा जा सकता है और न ही इसे ऐसे कार्यों के कारणों को बताते हुए राज्य को अपनी विविध गतिविधियों में अपने कार्यों का हिसाब देने के लिए कहा गया है। इस प्रकृति की स्थिति में प्रत्यर्थी कंपनी की कुछ गतिविधियाँ, जो संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य का गठन करती हैं, कुछ परिस्थितियों में संविदा में प्रवेश करने या न करने में संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन हो सकती हैं और उचित होनी चाहिए और केवल वैध और सुसंगत प्रतिफल पर ही मानी जानी चाहिए; यह किसी विशेष संव्यवहार के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि सुनवाई आवश्यक है या नहीं और कारण बताए जाने चाहिए। यदि नागरिकों को प्रदत्त किसी अधिकार में हस्तक्षेप करने की मांग की जाती है तो ऐसी कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन है और उचित होनी चाहिए और केवल सार्वजनिक हित के वैध और सुसंगत आधार पर ही की जा सकती है। जहां संविदाओं में इस प्रकार के प्रवेश करने या न

करने की राज्य की कार्रवाई में मनमानी होती है तो अनुच्छेद 14 सामने आता है और न्यायिक समीक्षा ऐसी कार्रवाई को रद्द कर देती है। राज्य कार्यकारी प्राधिकारी की प्रत्येक कार्रवाई विधि के शासन के अधीन होनी चाहिए और कारण से सूचित की जानी चाहिए। इसलिए सार्वजनिक प्राधिकरण की जो भी गतिविधि हो, ऐसे एकाधिकार या अर्ध-एकाधिकार वाले व्यवहार में, उसे संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। यदि संविदा करने या न करने के मामले में भी कोई सरकारी कार्रवाई तर्कसंगतता की कसौटी पर खरा नहीं उतरती है तो यह अनुचित होगा । इस संबंध में *ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब सेहरावर्दी, आर.डी. शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और द्वारकादास मारफातिया एंड संस बनाम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ दी पोर्ट ऑफ़ बॉम्बे* का भी संदर्भ लिया जा सकता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तर्क का नियम और मनमानी तथा भेदभाव के विरुद्ध नियम, निष्पक्ष खेल और प्राकृतिक न्याय के नियम, वर्तमान स्थिति की भांति नागरिकों नागरिकों के साथ व्यवहार में राज्य के अभिकरण द्वारा स्थिति या कार्रवाई में लागू, विधि के शासन का हिस्सा हैं। भले ही नागरिकों के अधिकार संविदात्मक अधिकारों की प्रकृति में हैं, संविदा में प्रवेश करने या न करने के निर्णय का तरीका, पद्धति और हेतु, संव्यवहारों के प्रकार और संव्यवहारों की प्रकृति में प्रासंगिकता और तर्कसंगतता, निष्पक्ष खेल, प्राकृतिक न्याय, समानता और

गैर-भेदभाव की कसौटी पर न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, जैसा कि वर्तमान मामले में है।"

25. प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री वी. के. मोंगा ने अपनी दलीलों में अपीलार्थी-आईओसीएल की ओर से विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता सुश्री पिंकी आनंद के तर्कों का समर्थन किया ।

26. तथ्य और विधि दोनों पर उच्च न्यायालय के निष्कर्षों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद और पक्षकारों की ओर से की गई प्रतिद्वंद्वी विधिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद हम श्री कपिल सिब्बल द्वारा प्रस्तुत तर्क से सहमत हैं। हमने अभिलेख पर मौजूद सामग्री और स्वीकृत तथ्यों के आधार पर जांच की है, यह स्पष्ट है कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता-आईओसीएल ने अपने दिनांक 21.10.1971 के आबंटन पत्र के माध्यम से कुछ नियमों और शर्तों पर प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को इंडेन गैस (एलपीजी) के वितरण की पेशकश की थी।

यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 दोनों ने साझेदारी फर्म को आबंटन पत्र के नियमों और शर्तों के अनुसार पंजीकृत कराया और कम से कम दो बार आईओसीएल से कंपनी के मानक करार को हस्ताक्षर के लिए भेजने का अनुरोध किया, लेकिन आईओसीएल उन्हें इसे भेजने में विफल रहा। अतः अभिवचनों और अभिलेख पर साक्ष्य से यह

अनुमान लगाया जा सकता है कि कंपनी के मानक करार को उनके द्वारा कभी निष्पादित नहीं किया गया था।

27. 23.03.1972 को प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 दोनों ने उक्त मानक करार पर दोनों के हस्ताक्षर के बिना अपना व्यवसाय शुरू किया। साझेदारी व्यवसाय को आईओसीएल द्वारा जारी आबंटन पत्र के नियमों और शर्तों द्वारा विनियमित किया जाना जारी रखा गया। इसलिए आईओसीएल का दावा कि प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 दोनों उक्त मानक करार के बारे में जानते थे कानून में अस्वीकार्य है। यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि प्रत्यर्थी संख्याः 2 और 3 दोनों को उक्त मानक करार की शर्तों के बारे में कोई जानकारी थी या वे कभी इससे सहमत थे। हम श्री सिब्बल द्वारा की गई प्रस्तुति, कि वह करार जो पक्षकारों द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है उसे उनके विरुद्ध विधिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता है, से सहमत हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय ने उचित ही माना है कि मानक करार को प्रत्यर्थी संख्याः 2 और 3 दोनों पर विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं कहा जा सकता है उसे आवंटियों और आईओसीएल के बीच कभी निष्पादित नहीं किया गया है।

28. इसके अलावा, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 7, विशेष रूप से यह प्रावधान करती है कि स्वीकृति पूर्ण होनी चाहिए। यह. इस प्रकार पढ़ता हैः

"किसी प्रस्ताव को वचन में बदलने के लिए आवश्यक है कि स्वीकृति -

(1) पूर्ण और अप्रतिबंधित हो।

(2) कुछ सामान्य और उचित तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए,

जब तक कि प्रस्ताव उस तरीके को निर्धारित न करे जिसमें इसे स्वीकार किया जाना है। यदि प्रस्ताव एक ऐसा तरीका निर्धारित करता है जिसमें इसे स्वीकार किया जाना है, और स्वीकृति उस तरीके से नहीं की जाती है, तो प्रस्तावक, स्वीकृति की सूचना दिए जाने के बाद उचित समय के भीतर, इस बात पर जोर दे सकता है कि उसका प्रस्ताव निर्धारित तरीके से स्वीकार किया जाएगा। ढंग, और अन्यथा नहीं; लेकिन, यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह स्वीकृति स्वीकार कर लेता ।"

अभिवचनों और अभिलेख पर साक्ष्यों से यह स्पष्ट है प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 दोनों को कभी भी मानक करार की आपूर्ति नहीं की गई थी और उक्त मानक करार आवंटियों और आईओसीएल के बीच निष्पादित हुआ नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार एवं संविदा अधिनियम के पूर्वोक्त वैधानिक प्रावधान के आलोक में विचाराधीन उक्त मानक करार को विधि में पक्षकारों के बीच संपन्न संविदा नहीं कहा

जा सकता है। परिणामतः इसे आईओसीएल द्वारा वितरण के आवंटियों पर बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता है।

29. जहाँ तक प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 द्वारा उक्त मानक करार के खंड 21 (उपर्युक्त) का कथित उल्लंघन का संबंध है, यह स्पष्ट है कि ऊपर बताए गए कारणों से उक्त मानक करार पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं है और जब उक्त मानक करार बाध्यकारी ही नहीं है तो नियमों और शर्तों का उल्लंघन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। बल्कि आईओसीएल ने, प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 दोनों को मानक करार नहीं भेज कर, आबंटन पत्र की शर्त संख्या 2 (ऊपर) का उल्लंघन किया है।

30. हम श्री सिब्बल द्वारा प्रस्तुत दलीलों से सहमत हैं कि आबंटन पत्र की शर्त संख्या 8 अतार्किक है क्योंकि यह आईओसीएल को बिना कोई कारण बताए वितरण समाप्त करने का एक निरंकुश अधिकार देता है । वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी संख्या 2 आर्थिक शक्ति में बहुत कमजोर है और आईओसीएल के साथ कोई सौदेबाजी की शक्ति नहीं है। उस समय जब आबंटन पत्र जारी किया गया था प्रत्यर्थी संख्या 2 के पास आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं था एवं अपने और परिवार के सदस्यों के निर्वाह के लिए आईओसीएल द्वारा इंडेन गैस एजेंसी के अनुदान पर निर्भर था। आबंटन पत्र में मानक शर्तें शामिल हैं एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को उसे बदलने का कोई अवसर नहीं मिला। आबंटन पत्र की शर्त संख्या 8 में

किसी भी कारण को निर्दिष्ट किए बिना वितरण की एकतरफा समाप्ति का प्रावधान है जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ ही ***केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड*** का मामला (ऊपर) में इस अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में पढ़े जाने के लिए दायी है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उद्धृत सुसंगत परिच्छेद यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"89. तो क्या हमारे न्यायालयों को समय के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए? क्या उन्हें अभी भी अप्रचलित अवधारणाओं और बहिष्कृत विचारधाराओं से चिपके रहना चाहिए? क्या हमें आज के भूषाचार के अनुरूप अपनी सोच को समायोजित नहीं करना चाहिए? क्या सभी न्यायशास्त्रीय विकास हमें 19 वीं सदी के सिद्धांतों के दलदल में लड़खड़ाते छोड़कर हमारे पास से गुजर जाने चाहिए? क्या शक्तिशाली को कमजोर को दीवार पर धक्का देने की अनुमति दी जानी चाहिए? क्या उन्हें कमज़ोरों पर अत्याचार करने की अनुमति दी जानी चाहिए? जब ताकतवर लोग कमजोरों के अधिकारों को कुचल रहे हों तो क्या अदालतें चुपचाप बैठकर देखती रहेंगी? हमारे पास अपने देश के लिए एक संविधान है। हमारे न्यायाधीश "संविधान और कानूनों को कायम रखने" की शपथ से बंधे हैं। संविधान इस देश के सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए बनाया गया था। संविधान का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी

देता है। मामले के इस भाग पर उपरोक्त चर्चाओं से निष्कर्षण योग्य सिद्धांत सही और तर्क के अनुरूप है जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है और अनुच्छेद 14 में महान समानता खंड के आदेश के अनुरूप होना है। उपरोक्त से सिद्धांत मामले के इस हिस्से पर चर्चा सुसंगत है। सही और कारण के साथ, सामाजिक और आर्थिक न्याय और के जनादेश के अनुरूप अनुच्छेद 14 में महान समानता खंड। यह सिद्धांत यह है कि अदालतें इसे लागू नहीं करेंगी और जब ऐसा करने के लिए कहा जाएगा तो वे एक अन्यायपूर्ण और अनुचित संविदा, या एक संविदा में एक अन्यायपूर्ण और अनुचित खंड को रद्द कर देंगी, जो उन पक्षकारों के बीच प्रवेश किया गया है जो सौदेबाजी की शक्ति में समान नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सौदों की विस्तृत सूची देना कठिन है। कोई भी अदालत पुरुषों के मामलों में उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्थितियों की कल्पना नहीं कर सकती। केवल कुछ उदाहरण देने का प्रयास किया जा सकता है। उदाहरण के लिए उपरोक्त सिद्धांत वहां लागू होगा जहां सौदेबाजी की शक्ति की असमानता संविदा करने वाले पक्षकारों की आर्थिक शक्ति में बड़ी असमानता का परिणाम है। यह वहां लागू होगा जहां असमानता परिस्थितियों का परिणाम है, चाहे पक्षकारों का निर्माण हुआ हो या नहीं। यह उन स्थितियों पर लागू होगा जिनमें कमजोर पक्ष ऐसी स्थिति में है कि वह केवल मजबूत पक्ष द्वारा अधिरोपित शर्तों पर ही सामान या सेवाएं या आजीविका के साधन प्राप्त कर सकता है या उनके बिना रहें। यह वहां

भी लागू होगा जहां किसी व्यक्ति के पास संविदा पर अपनी सहमति देने या निर्धारित या मानक रूप में बिंदीदार रेखा पर हस्ताक्षर करने या संविदा के हिस्से के रूप में नियमों के एक संवर्ग को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है या कोई सार्थक विकल्प नहीं है तथापि उस संविदा या प्रपत्र या नियमों का कोई खंड कितना भी अन्यायपूर्ण, अनुचित और अतार्किक क्यों न हो। यह सिद्धांत हालाँकि यह वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ संविदा करने वाले पक्षकारों की सौदेबाजी की शक्ति बराबर या लगभग बराबर है। यह सिद्धांत वहाँ लागू नहीं हो सकता जहाँ दोनों पक्षकार व्यवसायी हैं और संविदा एक वाणिज्यिक संव्यवहार है। अपने विशाल ढांचागत संगठनों के साथ विशाल निगमों का, आज की जटिल दुनिया में और राज्य के साथ अपने उपकरणों के माध्यम से और एजेंसियों के माध्यम से उद्योग और वाणिज्य की लगभग हर शाखा में, प्रवेश हो रहा है वहाँ ऐसी असंख्य स्थितियां हो सकती हैं जिसके परिणामस्वरूप पूरी तरह से अनुपातहीन और असमान सौदेबाजी की शक्ति रखने वाले पक्षकारों के बीच अन्यायपूर्ण और अनुचित सौदेबाजी हो सकती है। इन मामलों को न तो गिनाया जा सकता है और न ही पूरी तरह से चित्रित किया जा सकता है। न्यायालय को प्रत्येक मामले का निर्णय इसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर करना चाहिए।"

31. इसके अलावा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिब्बल द्वारा ***महाबीर ऑटो स्टोर्स*** के मामले (ऊपर) पर भरोसा करते हुए यह सही तर्क

दिया गया है कि आईओसीएल भारत सरकार का उपक्रम होने के नाते निष्पक्ष, उचित रूप से कार्य करने के लिए बाध्य है और इसका आचरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर जांच के अधीन है ।

<u>बिन्दु संख्या 2 का उत्तर</u>

32. अपीलार्थी-आईओसीएल की ओर से सुश्री पिंकी आनंद, अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने वितरण की पुनर्स्थापना की राहत देने में गलती की है क्योंकि यह विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 14 (1) (ग) के प्रावधान के विपरीत है (संक्षेप में "अधिनियम")। उन्होंने आगे तर्क दिया कि मौजूदा मामले में करार प्रकृति में पर्यवसेय है और अधिनियम की धारा 14 (1) (ग) के प्रावधान के अनुसार जो करार प्रकृति में पर्यवसेय है उसे न्यायालय द्वारा विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने गलती से यह माना है कि अधिनियम की धारा 14 (1) (ग) का प्रावधान मामले की तथ्यात्मक स्थिति पर लागू नहीं है।

33. उन्होंने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने आईओसीएल को समाप्त की गई वितरण की पुनर्स्थापना का गलत निर्देश दिया है क्योंकि यह विधि में अनुपयुक्त है। उन्होंने कहा कि एक बार वितरण, भले ही इसे संविदा के उल्लंघन में समाप्त कर दिया गया हो, प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है और आईओसीएल से

नुकसानी का दावा करना ही एकमात्र उपचार है। उन्होंने ***इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम अमृतसर गैस सर्विसेज और अन्य***" के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर दृढ़ विश्वास जताया।

34. दूसरी ओर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 14 (1) (ग) के तहत मुकदमे की अनुरक्षणीयता का प्रश्न आईओसीएल द्वारा कभी भी विचारण न्यायालय या प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि आबंटन पत्र और पक्षकारों के आचरण से यह स्पष्ट है कि न तो संविदा प्रतिसंहरणीय है और न ही यह किसी भी कारण से शून्य हो गयी है। इस प्रकार अधिनियम की धारा 14 (1) (ग) का प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही माना है।

35. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आईओसीएल ने अपनी दलीलों में जिस ***अमृतसर गैस सर्विसेज और अन्य*** (ऊपर) मामले पर भरोसा किया था उसकी मौजूदा मामले में कोई सुसंगतता नहीं है क्योंकि उक्त मामला मध्यस्थता के कानून से संबंधित है। मौजूदा मामले में, आबंटन पत्र से यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता के कानून और संबंधित मामले के कानूनों को आकर्षित करने के लिए उसमें कोई मध्यस्थता खंड शामिल नहीं किया गया था।

36. हम श्री सिब्बल द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत हैं । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश में सही माना है कि अधिनियम की धारा 14 (1) (ग) के तहत प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होता । यह इस प्रकार थाः

"10. (iii) इसके अलावा करार की शर्तों अर्थात् आबंटन पत्र और पक्षकारों के आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि न तो संविदा प्रतिसंहरणीय थी और न ही यह किसी भी कारण से शून्य हो गयी थी। इसलिए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 14 (1) (ग) का प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है और उक्त प्रावधान के तहत वाद को कानूनी रूप से चलने योग्य नहीं माना जा सकता है..."

37. इसके अलावा, आबंटन पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसमें कोई मध्यस्थता खंड नहीं है। इस प्रकार, आईओसीएल द्वारा अपनी दलीलों में जिस अमृतसर गैस सर्विसेज (सुप्रा) के मामले पर भरोसा किया गया, उसका कोई औचित्य नहीं है।

<u>बिन्दु संख्या 3 का उत्तर</u>

38. उपर्युक्त कारणों से हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों और आदेशों में विचारण न्यायालय के साथ-साथ प्रथम

अपीलीय न्यायालय के गलत निष्कर्षों को रद्द करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

39. इस मामले के तथ्य और परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम यह अवलोकन करने के लिए बाध्य हैं कि अपीलार्थी-आईओसीएल को इस प्रकृति के वितरण को समाप्त करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय बहुत सतर्क और सावधान रहना चाहिए। उपरोक्त कारणों से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

40. खर्चे के मुद्दे पर, हमारी राय है कि चूँकि प्रत्यर्थीगण लगभग 37 वर्षों की अवधि से मुकदमेबाजी कर रहे हैं, अपने लिए न्याय की तलाश में अदालतों में कीमती समय बिता रहे हैं, वे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इसके हकदार हैं। प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 भूतपूर्व सैनिक हैं जिनके पक्ष में वितरण प्रदान किया गया था, उसे मनमाने ढंग से और गलत तरीके से समाप्त कर दिया गया था । आईओसीएल का यह आचरण भारत सरकार की योजना के सराहनीय उद्देश्य, जिसके द्वारा पूर्व रक्षा कर्मियों, युद्ध विधवाओं और आश्रितों के पक्ष में वितरण आवंटित किया गया था, को पराजित करता है । इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 1 & 2 खर्चे के साथ निर्णित होने लायक है ।

41. तदनुसार, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं

i) यह दीवानी अपील खारिज की जाती है। 13.12.2007 दिनांकित आदेश के द्वारा दिया गया स्थगन निरस्त माना जाएगा।

ii) हम अपीलार्थी- आईओसीएल को प्रत्यर्थी संख्या 1 या 2 और 3 के पक्ष में एल. पी. जी. के वितरण की तुरंत पुनर्स्थापना करने का निर्देश देते हैं और इस न्यायालय को एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(iii) निर्णय की प्रतिलिपि की प्राप्ति की दिनांक से चार सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को एक लाख रुपये रुपये के खर्चें का भुगतान किया जाए। ।

(iv) सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया है।

कल्पना के. त्रिपाठी

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नरेन्द्र नारायण शर्मा द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

[i] (2001) 5 एस. सी. सी. 101
[ii] (1986) 3 एससीसी 156
[iii] 1991 पूरक (1) एस. सी. सी. 600
[iv] (1990) 3 एससीसी 752 [2015] 13 एस. सी. आर.
[v] (1991) 1 एस. सी. सी. 533

nnsharma